प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 164/22 दिनांक 5/5/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 94 समय 6:31 PM.
   (2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 04.05.2022 समय 05:28 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.04.2022 समय करीब 12:10 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – मौखिक
5. घटना स्थल :
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **380** किलोमीटर
   (2) पता – परिवादी के जीआरपी कॉलोनी मावली उदयपुर के पास स्थित आवास।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता – (गोपनीय) जरिये मुखबीर

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : – श्री शकील अहमद
(2) पिता का नाम : –श्री खलील अहमद
(3) आयु : – 46
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : – इलेक्ट्रीशयन
(7) पता : – **वार्ड नंबर 07 जी0आर0पी0 कॉलोनी के पास मावली जिला उदयपुर** ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	15000 रूपये	

आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर द्वारा परिवादी के ग्राम पंचायत मावली पर लंबित वैध कार्य मकान का पट्टा बनाकर देने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 30000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर 15000 रूपयें अपने दोनों हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखकर ग्रहण करना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 15000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 28.04.2022 को समय करीब 12:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री शकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 07 जी0आर0पी0 कॉलोनी के पास मावली जिला उदयपुर ने उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर के नाम पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि" मैं जिस मकान में अभी रह रहा हूँ उस मकान के पट्टे के लिए मैने ग्राम पंचायत मावली में आवेदन कर रखा है। मकान का पट्टा देने की एवज में सरपंच हेमेन्द्र जाट मुझसे 20 हजार रूपयें की रिश्वत राशी की मांग कर रहा है। मैं श्री हेमेन्द्र को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुँ। मेरी सरपंच साहब से कोई उधार लेनदेन बाकी नहीं है और कोई दुश्मनी भी नहीं है। अतः कार्यवाही करावे" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से मांग सत्यापन वार्ता करवाई जाना आवश्यक है। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर राजकार्य से बाहर होने से उनके उपस्थित होने पर हालात अर्ज किया जाना नीयत किया गया। दिनांक 28.04.2022 को समय करीब 12:30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि0 266 को बुलाकर कार्यालय में से डिजिटल टेप रिकार्डर मंगवाया जाकर टेप रिकार्डर के संचालन की विधि परिवादी को समझाई जाकर संदिग्ध आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता कर उसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड करनें की हिदायत देकर श्री दिनेश कुमार कानि0 एवं परिवादी श्री शकील अहमद को मावली की ओर रवाना किया गया। समय करीब 10:30 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री शकील अहमद के साथ ग्राम पंचायत मावली पर गया जहां परिवादी ने ज्ञात किया तो संदिग्ध आरोपी सरपंच ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं होने से मांग सत्यापन वार्ता नहीं करवायी जा सकी। जिस पर आयन्दा परिवादी से संपर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवायी जाने हेतु श्री दिनेश कुमार कानि0 को पाबंद किया गया। दिनांक 29.04.2022 को समय करीब 10:00 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 266 को परिवादी से संपर्क कर मावली जाकर संदिग्ध आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता कर उसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड करनें की हिदायत देकर श्री दिनेश कुमार कानि0 को मावली की ओर रवाना किया गया। दिनांक 29.04.2022 को समय करीब 11:30 एएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होने पर परिवादी श्री शकील अहमद द्वारा दिनांक 28.04.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में हालात अर्ज किये जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 06.54 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 नं. 263 ने जरिये मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी से रिश्वत मांग करने वाले संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग की वार्ता की गई हैं जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर तीन या चार दिन के बाद बुलाया है जिस पर कानि0 श्री दिनेश को परिवादी को आरोपी द्वारा उसकी मांग अनुरूप रिश्वत राशि की व्यवस्था कर 3–4 मई 2022 को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत करने बाबत् हिदायत दी गई एवं श्री दिनेश कुमार को कार्यालय में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर सुरक्षित रखनें हेतु निर्देशित किया। दिनांक 04.05.2022 को समय 11.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 द्वारा कार्यालय में सुरक्षित रखा हुआ डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया जिसे चलाकर सुना गया तो आरोपी सरंपच द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी की मांग करने की पुष्टि हुई। समय करीब 12.30 पीएम पर परिवादी श्री शकील अहमद ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत मावली द्वारा मेरे मकान का पट्टा देने की एवज में मांगी गई रिश्वत राशी 30000 रूपयें की व्यवस्था नहीं हो सकी है किन्तु मैं 15000 रूपयें की व्यवस्था कर लाया हूँ। मैं सरपंच साहब को 15000 रूपयें लेने हेतु राजी कर लूंगा। जिस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया जाकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक को उपवन सरंक्षक उदयपुर के नाम तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया जो उपवन सरंक्षक उदयपुर को तहरीर देकर पुनः कार्यालय में उपस्थित हुआ। समय करीब 01.15 पीएम

पर तलविदा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि0 भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर उपस्थित हुए जिन्हें कार्यवाही में सम्मिलित किया गया। समय करीब 1:30 पीएम पर उपवन सरंक्षक कार्यालय से स्वतंत्र सरकारी गवाह श्री राजेश कुमार गरासिया पुत्र स्व0 श्री रूपसिंह जी उम्र 42 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट कातरवास खुर्द तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन संरक्षक उदयपुर एवं श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल राणा उम्र 26 वर्ष निवासी मकान नंबर 67 अंबेडकर नगर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली हाल कनिष्ठ सहायक उपवन संरक्षक उदयपुर (राज0) उपस्थित हुए जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वंतत्र सरकारी गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति चाही गई जिस पर दोनों स्वंत्रत गवाहानों द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति दी गयी। तत्पश्चात् परिवादी श्री शकील अहमद एवं स्वंत्रत गवाहान श्री राजेश कुमार एवं श्री योगेश कुमार का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 28.04.2022 को स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि कर शब्द–ब–शब्द स्वयं की हस्तलिपि में होना बताया जिस पर स्वतंत्र गवाहानों के उक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवायें गये। समय करीब 01:45 पीएम पर परिवादी श्री शकील अहमद एवं स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष श्री दिनेश कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 29.04.2022 को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनाया तो परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री हेमेन्द्र जाट सरपंच ग्राम पंचायत मावली की होना स्वीकार किया। इसके पश्चात उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार से तैयार करवाई जाकर वार्ता की एक मूल सीडी, एक मुल्जिम सीडी एवं एक आईओ सीडी तैयार की जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचीट मोहर कर मार्क A अंकित कर थेली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। पृथक से तैयार फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर स्वतंत्र गवाहानों तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 02:45 पीएम पर स्वंतत्र गवाहान श्री राजेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी सरपंच श्री हेमेन्द्र जाट को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री शकील अहमद से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट निकालकर प्रस्तुत किये गये, नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AT 202810
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7PA 375413
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BH 411577
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AC 933396
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HB 533169
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5PB 403200
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AN 105419
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KW 484023
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KB 448680
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KK674061
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KA 680769
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2MM 649251
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GC 116249
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AQ 264653
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9VR 429546
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4TU 964601
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KS 108598
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 HP 094154

19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484962
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FM 176613
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FM 176614
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7AH 565476
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484966
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484967
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD484968
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484969
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484970
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484971
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484972
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD 484973

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरेशचन्द्र कानि0 283 से कार्यालय की आलमारी में सें फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 15000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट में आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री सुरेशचन्द्र कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफथेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री सुरेश कुमार से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी सरपंच श्री हेमेन्द्र के शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री सुरेश कुमार कानि. से दुबारा साफ पानी व शेंपू साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व शेंपू साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक और ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री शकील अहमद को टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु टेप रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार

कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजेश कुमार कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री शकील अहमद, गजेन्द्र कुमार सउनि, हैड कानि0 श्री मुनीर मोहम्मद, श्री लालसिंह, श्री विनोद कुमार क0स0, श्री दिनेश कुमार कानि0 266 श्री नन्दकिशोर कानि0 379, मय प्रिन्टर लेपटॉपस्, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना करते हुए कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर से मावली के लिए रवाना होकर समय करीब 4:30 पीएम पर मावली कस्बे से कुछ दूरी पहले रूककर परिवादी को ग्राम पंचायत मावली की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक हमराहीन जाप्ता ग्राम पंचायत मावली के आसपास छुपाव हासिल कर परिवादी के निर्धारित ईशारे ईन्तजार खडे रहे थे कि कुछ देर बाद परिवादी बिना ईशारा किये ग्राम पंचायत से बाहर आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को स्वंतत्र गवाह के समक्ष बताया कि मैं ग्राम पंचायत में गया जहॉ पर श्री हमेन्द्र जाट सरंपच साहब से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारें घर पर नाप लेने आ रहा हूँ वही मिलना तुम। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को टेप रिकार्डर बंद करवाया एवं परिवादी को स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही हिदायत दी गई कि आप अपने घर पर पहुॅच कर सरपंच के आने पर टेप रिकार्डर चालू करे एवं रिश्वती राशी देने के बाद पूर्व निर्धारित ईशारा करें। परिवादी को आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान निजी वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे परिवादी के मकान पर जाने के लिए रवाना होकर परिवादी के जीआरपी कॉलोनी के पास मावली पर स्थित मकान से कुछ दूरी पर निजी वाहनों को एक ओर साईड में खडा कर परिवादी के मकान के आसपास मय हमराहीन के छुपाव हासिल कर आरोपी सरंपच के आने का ईन्तजार में खडे रहे कि समय करीब 05:00 पीएम पर आरोपी सरपंच और एक अन्य व्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर परिवादी श्री शकील अहमद के घर में प्रवेश किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन टीम के परिवादी निर्धारित ईशारें के ईन्तजार में खडा रहा कि समय करीब 5:28 पीएम पर परिवादी ने अपने घर से बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा किया जिस पर सामनें से मोटसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए परिवादी के घर से वापस मावली कस्बे की ओर आ रहे थे जिन्हें सामनें से मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा हाथ का ईशारा कर रूकने हेतु निर्देश देने पर मोटरसाईकिल रूकवा कर मोटरसाईकिल चालक व पीछे बैठे व्यक्ति को स्वयं तथा हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत करा उनसे उनका परिचय पुछा तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर एवं मोटरसाईकिल चालक ने स्वयं का नाम श्री भरतलाल मीना पुत्र श्री ब्रदी मीना उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रामगढ अचवारा तहसील व पुलिस थाना रामगढ अचवारा दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चन्देसरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर पीछे से आ रहे परिवादी श्री शकील अहमद ने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकार्डर बंद कर सुपर्द करते हुए स्वंतत्र गवाह के समक्ष मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री हेमेन्द्र जाट सरपंच साहब है जिन्होंने मोटरसाईकिल चालक श्री भरतलाल जी सचिव साहब के साथ अभी-अभी मेरे घर पर आकर मेरे घर का नाप लेकर पट्टा बनानें की एवज में मुझसे 15000 रूपयें बतौर रिश्वत राशी मांगकर अपने हाथों से गिनकर अपनी जिन्स पेन्ट की पीछे की जेब में रखे है। जिस पर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट गर्दन नीचे कर हाथ जोडने लगा। आरोपी द्वारा रिश्वत राशी ग्रहण कर अपनी जेब मे रखने की पुष्टि होने से आरोपी की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जाना आवश्यक होने से तथा मौके पर काफी लोगो की भीड एकत्रित होने एवं आम रास्ता होने से अग्रिम कार्यवाही उक्त स्थान पर संपादित किया जाना संभावित नहीं होने से आरोपी सरपंच के दोनों हाथों को बाह से पृथक पृथक हमराह जाप्ता से सुरक्षित पकडवाया जाकर निजी वाहन में उसी अवस्था में बिठाकर पुलिस थाना मावली की ओर समय करीब 5:35 पर रवाना होकर समय करीब 5:45 पर पीएम पर पुलिस थाना मावली पर पहूॅचा तथा उपस्थित संतरी से थानाधिकारी के बारे मे पुछा तो उन्होंने राजकीय से बाहर होना बताने पर ड्यूटी ऑफिसर श्री हेमसिंह हैड कानि0 1656 उपस्थित मिले जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई ट्रेप कार्यवाही से अवगत करा लिखा-पढी हेतु एक कक्ष की मांग करनें पर महिला डेस्क का कक्ष उपलब्ध कराया गया। जिस पर स्वतंत्र

गवाह के समक्ष अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट से परिवादी श्री शकील से ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में पुछा गया तो उसने उक्त राशी श्री शकील अहमद के घर का पट्टा बनानें की एवज में सरकारी राशी 15000 रूपयें होना बताया। जिस पर पास में खडे परिवादी ने स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बताया कि सरंपच साहब झूठ बोल रहे है इन्होंने जो मुझसे 15000 रूपयें मांग कर ग्रहण की है वह इनके द्वारा दिनांक 29.04.2022 को ग्राम पंचायत पर मुझसें पट्टे बनाने की एवज में 30000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग की थी। मेरे पास 30000 रूपये की व्यवस्था नहीं होने से आज अभी कुछ देर पहले मैं ग्राम पचांयत गया तो इन्होंने मुझे मेरे घर पर आकर मेरे घर का नाप लेकर मुझसे 15000 रूपयें ग्रहण किये गये है जो सरकारी राशी नहीं होकर रिश्वत की राशी है जो इन्होनें अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार से आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट की जिन्स पेन्ट बरंग नीली के पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उसमें 500-500 रूपये के मिले नोट को गिनवाया गया तो कुल 30 नोट होकर 15000 रूपयें होना पाया गया। उक्त नोटो के नंबरों का पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर में अंकित नोटो के नंबरो से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुआ। उक्त नोटो को गवाह श्री राजेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी की सत्यता ज्ञात करने हेतु निजी वाहन से ट्रेप बॉक्स हैड कानि0 श्री मुनीर मोहम्मद से मंगवाया गया तथा उसमें से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर थाने के मटके से स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार से उसमें साफ पानी भरवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो कांच की गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त रंगहीन कांच के एक गिलास में आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट के दाहिने हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शाशियों को कपडे से सीलबंद कर चिट चस्पा कर मार्क आरएच-1 एवं आरएच-2 अंकित किया एवं कपडे एवं चिट पर संबंधितों हस्ताक्षर करवायें गये। इसी प्रकार दुसरे रंगहीन कांच के गिलास में आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट के बायें हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शाशियों को कपडे से सीलबंद कर चिट चस्पा कर मार्क एलएच-1 एवं एलएच-2 अंकित किया एवं कपडे एवं चिट पर संबंधितों हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी सरपंच के साथ मोटरसाईकिल पर आये दूसरे व्यक्ति श्री भरतलाल मीना से आरोपी के साथ में आने का कारण पुछा गया तो उसने स्वतंत्र गवाह के समक्ष बताया कि अभी कुछ देर पूर्व श्री शकील अहमद ग्राम पंचायत मावली पर आया था और उसने सरपंच साहब से कुछ बातचीत कर चले गये उसके बाद मुझे सरपंच साहब श्री हेमेन्द्र जाट ने कहा कि श्री शकील के घर का पट्टा बनाने हेतु इसके घर का नाप लेना है आप भी साथ चलो तो मैं इनके साथ मोटरसाईकिल चलाकर श्री शकील के घर पर गया जहां सरपंच साहब के साथ श्री शकील के घर का नाप लिया जिसके बाद सरपंच साहब हेमेन्द्र जी श्री शकील को एक तरफ साईड में लेकर गये और कुछ बात कर रहे थे उसी दौरान मैनें भी श्री शकील को पट्टा बनानें हेतु औपचारिक वार्ता की है किन्तु सरंपच साहब ने श्री शकील से रिश्वती राशी 15000 रूपयें मेरे नाप लेने के दौरान बिना मुझे भनक लगे लिये है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा श्री शकील से कभी भी कोई बात नहीं की है। चूंकि आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट द्वारा रिश्वती राशी अपने हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखने से उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से बाजार से एक नया पाजामा खरीदकर मंगवाया जाकर आरोपी द्वारा पहनी पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर नया क्रयशुदा पाजामा पहनाया गया। आरोपी के जिन्स की पेन्ट का धोवन लेने के कम में ट्रेप बॉक्स में से एक ओर साफ कांच का गिलास निकालकर उसमें साफ पानी भरवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार राणा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर

डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कॉच के रंगहीन घोल में आरोपी की उतरवाई गई जिन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को स्वतंत्र गवाह श्री योगेश से ही उलटवाकर डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शाशियों को कपडे से सीलबंद कर चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एवं पी–2 अंकित किया एवं कपडे एवं चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात आरोपी की जिन्स पेन्ट की संबंधित जेब के सुखने पर उक्त जेब पर संबंधित अंकन कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये एवं पेन्ट को सफदे कपडे की एक थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशी 15000 रूपयें को कागज में सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री हेमेन्द्र कुमार जाट को पुछा तो उसने बताया कि मैं जनवरी 2020 में ग्राम पंचायत मावली के सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ हुँ। मेरे सरंपच पद पर निर्वाचन से पूर्व ही श्री शकील अहमद द्वारा ग्राम पंचायत मावली पर उसके मकान का पट्टा बनवानें हेतु आवेदन किया था। जिसके पट्टा बनानें का प्रस्ताव मेरे द्वारा इसी वर्ष 2022 के कोरम रजिस्टर में लिया गया था जिसकी तारिख मुझे याद नहीं है। श्री शकील अहमद द्वारा पट्टा लेने हेतु समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करवाये थे किन्तु श्री शकील अहमद के पिता का शपथ पत्र प्राप्त करना शेष था। आज श्री शकील अहमद मेरे पास ग्राम पंचायत मावली पर आया था तथा मुझे कहा कि मैं शपथ पत्र बनवा रहा हूँ और जन सहयोग की राशी जमा करवा दूंगा आप मेरे घर का नाप लेकर पट्टा जल्दी दे दो ताकि मैं लोन ले सकू। मैनें उसके पिताजी से बात करनी चाही तो श्री शकील ने मना कर दिया। जिस पर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट से परिवादी श्री शकील अहमद से ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में पुनः पुछने पर श्री हेमेन्द्र जाट हाथ जोडकर कहने लगा साहब गलती हो गई एक बार माफ कर दो। आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट सरपंच ग्राम पंचायत मावली से परिवादी श्री शकील अहमद की पट्टा बनवानें हेतु आवेदित पत्रावली के बारे में पुछा तो कहा कि मेरे साथ सचिव श्री भरतलाल मीना ही रिकार्ड संबंधी संधारण करते है। जिस पर श्री भरतलाल मीना से परिवादी श्री शकील के मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदित पत्रावली के बारें में पुछा तो उसने कहा कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में श्री शकील के पट्टा संबंधी कोरम रजिस्टर, मिसल पत्रावली उपलब्ध है। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। समय करीब 7:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह, एवं परिवादी श्री शकील अहमद को हमराह लेकर घटनास्थल निरीक्षक के लिए रवाना होकर बाद निरीक्षण घटनास्थल फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर पुलिस थाना मावली पर हाजिर आया फर्द घटना स्थल शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 7:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह, श्री विनोद कुमार क0स0 एवं सचिव श्री भरतलाल मीना को हमराह लेकर कार्यालय ग्राम पंचायत मावली के लिए रवाना होकर ग्राम पंचायत में आवेदित प्रार्थना पत्र एवं संबंधित रजिस्टर के साथ पुनः पुलिस थाना मावली पर उपस्थित हुआ। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री शकील अहमद द्वारा ग्राम पंचायत पर आवेदित प्रार्थना पत्र की पत्रावली जिस पर आवेदक का नाम शकील अहमद पता रेल्वे कॉलोनी के पास मावली एवं विषय पट्टा घरेलू मोबाईल नंबर 7597404237, 9024507446 अंकित होकर उक्त पत्रावली पर पटवारी से रिपोर्ट पुनः कराना एवं माता पिता से सहमति लेने हेतु अंकित किया हुआ है। पत्रावली के अन्दर परिवादी श्री शकील अहमद का सरपंच ग्राम पंचायत मावली के नाम आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र हो आराजी नंबर 1632 के साथ आस पडौस का अंकन किया हुआ है। नक्शा आबादी के बाद पटवारी द्वारा दिनांक 17.03.2017 का किस्म भूमि प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अनापत्ति पत्र में माता पिता के हस्ताक्षर के सम्मुख पिता के हस्ताक्षर अंकित है तथा पश्चित में विक्रम सिंह तथा दक्षिण में प्रकाश चन्द्र गुर्जर के हस्ताक्षर अंकित है। मूल्यांकन एवं विनियमितिकरण के संबंध में रिपोर्ट पर दो पंचों के हस्ताक्षर अंकित है। परिवादी द्वारा पचास रूपयें का स्टांप पर दिनांक 23.01.2019 को नोटेरीशुदा शपथपत्र होकर परिवादी के मकान के रंगीन फोटो संलग्न

होकर आधार कार्ड एवं बिजली बिल की छायाप्रति संलग्न है। उक्त पत्रावली के फाईल कवर के मुख्य पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पट्टा आवेदन रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो कमांक 1 से 459 तक आवेदकों की सूची अंकित होकर कमांक 1 पर आवेदक श्री राजकुमार सेन पुत्र श्री रमेशचन्द्र सेन तथा अंतिम कमांक 459 पर पुष्पादेवी खरवड पत्नी श्री नन्दलाल खरवड का नाम अंकित है इसी रजिस्टर के कमांक 5 पर परिवादी श्री शकील अहमद का विवरण अंकित किया हुआ है। पट्टा आवेदन के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ग्राम पंचायत मावली के बैठक कार्यवाहियों के रजिस्टर सत्र 2022–23 का अवलोकन किया गया तो प्रथम बैठक का विवरण दिनांक 06.04.2022 को अंकित होकर दिनांक 21.04.2022 को हुई बैठक कार्यवाही के विवरण में प्रस्ताव संख्या 03 के विवरण में प्राप्त आवेदनों में से कम संख्या 23 पर परिवादी श्री शकील अहमद का विवरण अंकित है। उक्त रजिस्टर के प्रथम एवं अंतिम बैठक कार्यवाही पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर परिवादी के मूल आवेदन की पत्रावली एवं दोनों मूल रजिस्टरों को कब्जे ब्यूरों लिया गया। श्री भरतलाल मीना को रूकसत दी गई। समय करीब 9:30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहानों, आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट,एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 04.05.2022 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता चलाकर सुनाई गई तो उसमें आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट एवं परिवादी ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया जिस पर टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री दिनेश कुमार से मेरे निर्देशन में उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम सीडी एवं एक आईओ सीडी बनवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क बी अंकित कर मूल सीडी को कपडे की थैली में सील्ड मोहर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद की गई। टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को टेप रिकार्डर से पृथक कर एक कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क 'सी' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09:40 पीएम पर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अपराध से आगाह किया जाकर सीआरपीसी के प्रावधानों से अवगत करा हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की गई। अभियुक्त की जामा तलाशी में मिले 6570 एवं सेमसंग कंपनी का मोबाईल को उपस्थित आये आरोपी के मित्र श्री मोहनलाल जाट को सुपुर्द किया गया। इसके अलावा कोई संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई और न ही कब्जे ब्यूरों ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र श्री शूभम को जरिये मोबाईल दी गई। आरोपी को उसकी नमूना आवाज देने हेतु तहरीर दी गई तो आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट द्वारा उसी तहरीर पर अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् अंकन किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 10:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम श्री विनोद कुमार क0स0 के आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट को लेकर कोविड टेस्ट तथा मेडीकल मुआयना करवानें हेतु चिकित्साधिकारी सामान्य चिकित्सालय मावली के नाम तहरीर के निजी वाहन से रवाना होकर बाद मेडीकल एवं कोविड टेस्ट करा आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट को लेकर पुनः पुलिस थाना मावली पर उपस्थित आया। समय करीब 12:00 एएम पर परिवादी को रूकसत कर थानाधिकारी पुलिस थाना हाथीपोल जिला उदयपुर के नाम आरोपी को हवालात में सुरक्षित रखनें की तहरीर मुर्तिब की जाकर मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट व हमराहीन ब्यूरों टीम तथा ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, पुलिस थाना मावली से रवाना होकर दिनांक 05.05.2022 समय करीब 12:58 एएम पर पुलिस थाना हाथीपोल पहुँचकर आरोपी को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु सुपुर्द कर भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर स्वतंत्र गवाह को रूकसत दी गई तथा जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल्स प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिया गया। दिनांक 05.05.2022 को समय करीब 10:20 एएम पर आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट को पुलिस थाना हाथीपोल से लाने हेतु श्री गजेन्द्र कुमार स0उ0नि0 एवं श्री भरत सिंह कानि0 को रवाना जो आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट को साथ लेकर कार्यालय पर

उपस्थित हुए। आरोपी माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर पर प्रस्तुत करने माननीय न्यायालय द्वारा जेसी आदेशित किया जाने पर आरोपी को केन्द्रिय कारागार उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री शकील अहमद के मावली कस्बे में बने मकान का पट्टा जारी करने की एवज में अवैध रूप से 30000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग करना व वक्त टेप कार्यवाही परिवादी की व्यवस्थानुसार 15000 रूपयें ग्रहण कर अपने दोनों हाथों से गिनकर पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे जो मौके पर बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, संशोधित पीसी एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट के विरूद्ध ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः आरोपी श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भूज जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू उदयपुर

सेवा विवरण प्रपत्र

नाम	श्री हेमेन्द्र जाट
पिता का नाम	स्व0 श्री चतुर्भूज जाट
पद	सरपंच
वर्तमान पदस्थापन स्थान	ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर
पूर्ण पता स्थायी/ अस्थायी	निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर
विभाग	पंचायत
निर्वाचन दिनांक	29.01.2020
जन्म दिनांक	01.07.1975
मूल वेतन/ वेतन श्रृंखला	4000/- प्रतिमाह
पद से निर्वतमान दिनांक	29.01.2024
पदच्यूत करनें वाले सक्षम प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम	निदेशक पंचायती राज विभाग जयपुर

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पे.यू.
उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में श्री हेमेन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री चतुर्भुज जाट, निवासी नाईयो का मोहल्ला मावली जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मावली जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 164/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1433-37 दिनांक 5.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।